

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo\_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./ 1488  
प्रति,

/2025/रायगढ़, दिनांक :- 29/08/2025

General Manager, Administration  
B.S. Sponge Pvt. Ltd.  
Village- Taraimal, Post- Gerwani  
Dist- Raigarh (C.G.)

विषय :-

Diversion of 0.144 ha. Forest land in favour of M/s. B.S. Sponge PVT. LTD. for laying Pipeline from Dewanmunda, Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant at Village- Jamdabri, Range- Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh District in the state of Chhattisgarh- regarding.  
पंजीयन क्रमांक:- FP/CG/Pipeline/151253/2022

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय अरण्य भवन रायपुर का पत्र क्रमांक/File No. FC-I/IROCH-18/2022/194 दिनांक 27.01.2025 (अंतिम चरण स्वीकृति)
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.)अ.) अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-916/834 रायपुर दिनांक 27.03.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय अरण्य भवन रायपुर का पत्र क्रमांक/File No. FC-I/IROCH-18/2022/194 दिनांक 27.01.2025 द्वारा प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान किया गया है। अंतिम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i to xix) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचनपत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें:-

- 1) प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक II के पालन में व्यपवर्तित क्षेत्र में 36 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावित प्रकरण 1.000 हे. से कम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (I) के पालन में प्रभावित वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 360 वृक्षों के 10 वर्षीय रखरखाव हेतु रकबा 0.350 हे. के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि पूर्व में आपके द्वारा राशि रु. 3,07,575.00 जमा किया गया था। वर्तमान में वर्ष 2024-25 की नवीन निर्धारित दर 1169680.00 में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवीन दर राशि रु. 1286648.00 के मान से रकबा 0.350 हे. के लिए कुल राशि 450327.00 होता है अतः जमा योग्य अंतर की राशि रु. 142750.00 (एक लाख ब्यालीस हजार सात सौ पचास मात्र) जमा करें।

उक्त राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
वनमण्डलाधिकारी

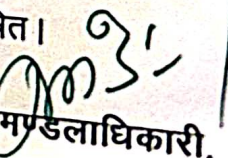
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

/2025/रायगढ़, दिनांक :- 29/08/2025

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1489

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्र./वन(सं. एवं सं.)अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

  
वनमण्डलाधिकारी,  
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़



**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़**  
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर - 492002  
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-916/834  
 प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 27/03/2025

वनमंडलाधिकारी  
 रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़  
 छत्तीसगढ़

**विषय: —** Diversion of 0.144 ha. Forest land in favour of M/s. B. S. SPONGE PVT. LTD. for laying Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant at Village - Jamdabri, Range - Tamnar in Raigarh Forest Division Raigarh District in the State of Chhattisgarh - regarding. पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Pipeline/151253/2022

**संदर्भ:—** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-I/ IROCH-18/ 2022/ 194 दिनांक 27.01.2025

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)।

संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 27.01.2025 से प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक - पृथक वचन पत्र सहित मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कैम्पा मद में जमा की जाने वाली अंतर की राशि के लिए आवश्यकता अनुसार आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी करे तथा जमा राशि की पुष्टि कर पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

अपूर्ण पालन प्रतिवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

चूंकि प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित करते हुए वनमंडलाधिकारी रायगढ़ को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन दिशा-निर्देश के पैरा 11.2 अनुसार आवेदक के व्यय, सीमांकन का शर्त एवं समस्त अधिरोपित शर्तों की पूर्ति उपरांत एक वर्षीय कार्य अनुमति जारी किया गया था।

उक्त स्वीकृति एक वर्ष के लिए ही प्रभावशील था, जो दिनांक 17.04.2024 से समाप्त हो चुका है। अतः आवेदित स्थल पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा हो तो तत्काल प्रभाव से कार्य को बंद कराया जावे तथा स्वयं स्थल निरीक्षण कर अद्यतन जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**संलग्न:—** संदर्भित पत्र की छायाप्रति (3 पृष्ठीय)

  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)  
 छत्तीसगढ़